

संख्या

2218/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण मथ अधिवक्ता
उपाध्यक्षित नहीं। कार-2 व बल्क-ब्लॉक आवक
लगाने पर भी प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता
न्यायालय में उपाध्यक्षित नहीं हुए। अतः
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अफम हाजरी व अफम
पेची में तारीख किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा